an>

Title: Appointment of Secretary-General, Lok Sabha and relinquishment of office by Secretary-General (Shri P. K. Grover) and his appointment as Honorary Officer of the House.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री अनूप मिश्रा को 1 दिसम्बर, 2014 से लोक सभा और लोक सभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया गया है। महासचिव के रूप में इनकी नियुक्ति से पूर्व श्री मिश्रा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम लिमिटेड में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। वे 35 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभा उनके गहन अनुभव से लाभान्वित होगी।

मुझे सभा को यह भी सूचित करना है कि श्री पी.के.ग्रोवर, महासचिव ने 30 नवम्बर, 2014 को अपने पद का त्याग किया। श्री ग्रोवर को संवैधानिक मामलों का व्यापक ज्ञान था, जिससे पीठासीन अधिकारियों और सभापति तालिका में शामिल सदस्यों को सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिली। उनकी सेवा के सम्मान में मुझे यह घोषणा करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि श्री ग्रोवर को सभा का मानद अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मैं अपनी तथा माननीय सदस्यों की ओर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफल भविष्य की कामना करती हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, इसमें एक महत्वपूर्ण इश्यू है। मुझे या मेरी पार्टी को या इस सदन के किसी भी सदस्य को निर्णय लेने का जो आपका अधिकार है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। You are supreme and you can take any decision.

माननीय अध्यक्ष : मैं समझ रही हूँ कि आप क्या विषय उठाना चाहते हैं?

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, उसके बाद आप जो भी कहेंगी, उसे हम मानेंगे और अल्टीमेटली आपका कहना ही चलेगा। मेरी आपसे यह अपील है कि हमेशा यह रीति है कि इस सदन में जब कभी भी सेक्रेटरी जनरल की अप्वाइंटमेंट होती है तो आप ही के जो रूल्स 1996 के तहत हैं या जो हमेशा ओवर रूल करते हैं या आप नये-नये रूल्स, प्रिसीडेंट्स बनाते हैं, उनके तहत ही लीडर ऑफ दी हाउस, लीडर ऑफ दी अपोजिशन और स्पीकर के कंसल्टेशन से कोई अप्वाइंटमेंट करते हैं। आपका कहना यह भी हो सकता है कि अपोजिशन लीडर की जो पोजिशन है, मैंने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है इसलिए उनसे कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आर्ग्युमेन्ट आ सकता है, इसको समझकर ही सरकार ने निर्णय लिया है और शायद इसमें आपकी भी सहमति होगी। आपने 6 कानून को बदलने का प्रयास किया है, उनमें से हमने सी.बी.आई. का इशू भी पर्सू किया। हम सभी ने मिलकर उसको कंसेंट दिया है। जब आप 6 कानून बदलते हैं तो आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को उन पर विचार सुनने के लिए इंवाइट करते हैं। मुझे आश्चर्य लगा कि इस विषय पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह किस वजह से नजरअंदाज किया गया? ...(व्यवधान) मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं।...(व्यवधान) हम स्पीकर के निर्णय पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं इनसे अपील कर रहा हूं।...(व्यवधान) क्या मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपील भी नहीं कर सकता हूं?...(व्यवधान) यह एक मुद्दा है। ...(व्यवधान) मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं अपील कर रहा हूं।...(व्यवधान) मैं प्रश्न भी नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान) अगर मैं प्रश्न करूंगा तो मैं नहीं बचूंगा। ...(व्यवधान) दूसरी चीज, इस सेक्रेटेरियट, जिसे आज पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट कहते हैं, को सुप्रीम रखने की प्रथा चली आ रही है। श्री विट्ठल भाई पटेल से लेकर सभी ने इसकी इंडीपेंडेंसी के लिए फाइट किया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय वर्ष 1928 में भी, उन्होंने फाइट कर, अपना अस्तित्व बनाया, श्री विट्ठल भाई पटेल ने यह दिखाया है कि यह सेक्रेटेरियट इंडीपेंडेंट है, सुप्रीम है, इसलिए इस सेक्रेटेरियट को अलग से देखना चाहिए। अगर, आज ऐसे मिक्स होता गया...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्षा जी, आखिर में मुझे आपकी ही बात सुननी है। ...(व्यवधान) आज जो सेक्रेट्री जनरल आए हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, क्या ऐसा हो सकता है कि यहां के कोई ऑफिसर काबिल नहीं हैं। सेक्रेटेरियट की जो व्यवस्था है, सेक्रेटेरियट में जो सिनियरिटी है, सेक्रेटेरियट के लोगों का जो एक्सपीरिएंस है, उसको देखकर यह बनाना पड़ता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खडगे जी, मैंने आपकी बात को सुना। अब बहुत हो गया।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : I am sorry, यह चर्चा का विषय नहीं बन सकता है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया इसकी चर्चा कोई नहीं करें।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई भी एक्सप्लानेशन नहीं देगा।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): We associate ourselves with the opinion expressed by Shri Kharge....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलने का तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। कृपया आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आपसे सलाह ले लूंगी।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं खड़गे जी से बात करती हूं।

â€¦(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : माननीय अध्यक्षा जी, हम इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं, बहस करना भी नहीं चाहिए, स्थिति भी अच्छी नहीं है। कांग्रेस के जो नेता बोल रहे थे, उनको याद होना चाहिए कि उनके जमाने में क्या हुआ है? उन्होंने क्या किया है? क्या कोई नई परंपरा चली?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे कम ज्ञानी हूं लेकिन मैंने भी रूल्स देखे हैं। अगर आपको कोई ऐसी चर्चा करनी होती तो आप हमारे चैम्बर में आते।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आगे भी आपसे चर्चा करती रहूंगी। आप चिंता मत कीजिए आप वरिष्ठ हैं, मैं मानती हूं। I am sorry.

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 101

â€¦(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I have given notice for suspension of Question Hour...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप बन्दोपाध्याय जी आपने जो सस्पेशन ऑवर का नोटिस दिया है, मैं बार-बार आप सब लोगों को समझा रही हूं कि रूल के तहत सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर नहीं होता है और उसको मैं डिअलाउ करती हूं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा कि क्वेश्चन ऑवर में नहीं होगा।

â€¦(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, this should not go on record...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing would go on record.

*(Interruptions) â€¦**

11.13 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came

and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: Q. 101 – Shri Bhartruhari Mahtab.

...(*Interruptions*)